न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

<u>पूरण बनाम ताराचन्द</u>

वाद संख्या– 02 / 04 / 2023

02.01.2023 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि हाल आराजी के खाता संख्या 421 हाल खसरा संख्या 435 / 0.05, 436 / 0.05, 438 / 0.05, 439 / 0.02, 440 / 0.07, 448 / 0.19, 449 / 0.10, 450 / 0.11, 451 / 0.12, 452 / 0.02, 453 / 0.26 कुल किता 11 कुल रकबा 1.04 एवं हाल आराजी खाता संख्या 424 खसरा संख्या 437 / 0.03, 455 / 0.03 वाके ग्राम कारोट तहसील राजगढ जिला अलवर में मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के हक व हिस्से की आराजी से जबरन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के विवादित आराजी में कुल कार्य काश्तकारी फसल बोने काटने लाने व ले जाने में ही कोई रूकावट मजाहमत पैदा ना करें ना कोई निर्माण कार्य ना करें ना ही आराजी मुतनाजा को किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय हिबा आदि से मुन्तकिल करे। प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 18 के कार्यालय में कोई दस्तावेज पंजीबद्ध नही करें। मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र कों निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर जॉचना आवश्यक है–

(अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व / कब्जा होना आवश्यक है।

(ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है।

(स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना साबित होनी चाहिये।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी का अभिलिखित काश्तकार है। अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुऐ अप्रार्थीगण को आराजी के खाता संख्या 421 हाल खसरा संख्या 435 / 0.05, 436 / 0.05, 438 / 0.05, 439 / 0.02, 440 / 0.07, 448 / 0.19, 449 / 0.10, 450 / 0.11, 451 / 0.12, 452 / 0.02, 453 / 0.26 कुल किता 11 कुल रकबा 1.04 एवं हाल आराजी खाता संख्या 424 खसरा संख्या 437 / 0.03, 455 / 0.03 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर से प्रार्थी आगामी तारीख पेशी दिनांक 02.02.2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा है <u>कि विवादित</u> **<u>आराजी की आगामी तारीख पेशी तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।</u>** अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 02.02.2023 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	20/11/24 पत्रावली पेश। वास्ते तामील रिपोर्ट 22/01/25 को पेश हो। 22/01/25 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो म व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 07/03/25 को पेश हो। रीडर
not Press पु.४४।	03/10/25 पत्रावली इकजाई पेशी से आज पेश। मूलवाद सं. 01/04/23 NOT Press मे खारीज हो जाने के कारण प्रा. पत्र 212 भी NOT Press मे खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर जमा लेख भण्डार हो।